"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2002—पौष 2, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 8739.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 11 सन् 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 11 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना), अधिनियम, 1984 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 2002 है.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 15 सन् 1984) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 1998 (क्रमांक 19 सन् 1998) (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा 3 (1) तथा (2) का संशोधन.

3. संशोधन अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "31 मई, 1998" के स्थान पर शब्द "19 नवंबर, 2002" स्थापित किया जावे.

धारा 4 (2) का संशोधन.

4. संशोधन अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में शब्द "31 मई, 1998" के स्थान पर शब्द "19 नवंबर, 2002" स्थापित किया जावे.

रायपुर

तारीख

राज्यपाल,

छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 8739.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 11 of 2002)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRON KE BHUMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN ADHYADESH, 2002.

An Ordinance to amend the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Fifty-third year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhyadesh, 2002.

Chhattisgarh Act (No. 15 of 1984) to be temporarily amended).

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam. 1998 (No. 19 of 1998) (hereinafter referred to as the Sanshodhan Adhiniyam) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 and Section 4.

Amendment of Section 3 (1) & (2).

3. In Sub-section (1) and (2) of Section 3 of Sanshodhan Adhiniyam, for words "31st May, 1998" the words "19th November, 2002" shall be substituted.

Amendment of Section 4 (2).

4. In Sub-section (2) of Section 4 of the Sanshodhan Adhiniyam, for words "31st May, 1998" the words "19th November, 2002" shall be substituted.

Raipur

Dated

GOVERNOR,
CHHATTISGARH.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.